

# नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

## वाहन भाड़ा प्रभार के लिए दावे का वाउचर

1. नाम एवं पदनाम \_\_\_\_\_
2. मूल वेतन \_\_\_\_\_
3. वह अनुभाग / प्रभाग जिससे संबंधित है \_\_\_\_\_
4. उद्देश्य \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

दिनांक	गंतव्य स्थान से	यात्रा का वाहन को	दूरी (कि.मी.में)	भाड़े के दावे की राशि
			(बस/आटो रिक्षा/टैक्सी/ अपनी कार/स्कूटर)	

रूपये.....

प्रमाणित किया जाता है :-

1. दावा की गई यह राशि किसी भी रूप में न तो पहले आहरित की गई है न मुझे भुगतान की गई है ।
2. कि यह व्यय वास्तव में किया गया है ।
3. कि मुझे किसी प्रकार का नियत यात्रा भत्ता या वाहन प्रभार्य नहीं मिलता है ।
4. चालू महीने के दौरान इस दावे के सहित दावा की गई वाहन भाड़ा प्रभार की कुल राशि 150/-रूपये से अधिक नहीं है ।

### दावेदार के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी को जनहित में या कार्य की तात्कालिकता के कारण यह यात्रा करने के लिए वाहन किराये पर लेना पड़ा और उपयोग किए गए वाहन के लिए प्रभार्य अधिसूचित दर-सूची के अनुसार है । कार्यालय द्वारा कोई भी स्टाफ कार या अन्य वाहन नहीं दिया गया था । वाहन प्रभार्य की राशि अनुमोदित की जाती है ।

अनुभाग / प्रभाग

प्रभारी के हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर

स्वीकृत एवं .....रूपये के भुगतान के लिए पारित

आहरण एवं संवितरण अधिकारी